

2022 परोकार व सरकार तहसीलदार रावतमाय के फा
 रुमांगे/राज्य/2022/1038 दिनांक 09/11/2022
 के जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसकी
 एक प्रति वकील जर्जी को वितरित करे। जवाब अधिसूचना
 क्रमांक 4। पत्रावली वारंते बहस श्रावण धारा-
 25 दिनांक 18/11/2022 के पेश है।

18 ¹¹/₂₀₂₂ पत्रावली पेश हुई। अधिकृत प्राणी व परोकार
 सरकार उपस्थित। वकील जर्जी ने श्रावण धारा-
 25 पर बहस की। उभय पक्ष की बहस सुनी
 गयी। पत्रावली वारंते अधिसूचना श्रावण धारा-25
 दिनांक 29/11/2022 के पेश है।

29 ¹¹/₂₀₂₂ पत्रावली पेश हुई। अधिकृत प्राणी व परोकार
 सरकार न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली वारंते
 अधिसूचना श्रावण धारा-25। दिनांक 06/12/2022
 के पेश है।

06 ¹²/₂₀₂₂ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष सरकार उपस्थित। प्राणी-पत्र
 में अंकित तथ्य व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का
 अवलोकन किया गया। वकील जर्जी की बहस पर ध्यान
 दिया गया। प्राणी को अपनी जवाबदारी काराजी पर जोर
 देते हुए वकील की आवश्यकता होने पर प्रतिक्रिया देगी वकील
 जर्जी के द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर एक
 संतुष्ट है। प्राणी को प्राणी-पत्र धारा-25। अधिसूचना
 वकील उभय पाया जाता है। प्राणी का श्रावण

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App-2
crim-

उपखण्ड अधिकारी
पूरनमल शुभार
शुभार

मुकाम : रावतभाटा
बनाम : अग्निधारी तहसीलदार
नं० : २५/२०२० सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

धारा-251 मस का वकील कोर लेने से पूर्व
ज्या जगत ही तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते
हेतु उपकोश के डोने वाली भूमि की राशि का पुस्तक
शाहरापालक द्वारा प्रसी द्वारा जमा किये जाने पर
सार्वजनिक वास्ता दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं
प्रार्थक धारा-251 का निर्णय हुपल से लिखाया
जाकर वकील ग्यामालय की जलाल मे खुगाया गया
निर्णय की प्रति पालनगी तहसीलदार वापस गाय को
भेजी जावे। पत्रावली फंसल शुभार लेकर नम्बर
के अन्धी जाकर शामिल दफतार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपस्थिता
माय के फा
२९/११/२०२२
जा जिलगी
याव अज्ञान
पत्र धारा
कोर
धारा
शुमी
धारा-251

मल
मस्त
०२२

की-५३
को को